

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

जिवि विपक्षी रत्नलाल
 212 ATAL पत्रावली संख्या 88/22 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>01/09/22 वजुलाय बायीं/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः अक्षर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01/09/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p> <p>29/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची/अपीलाएट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्थो उपस्थित/पीठारीन अधिवक्ता महे. आज अवकाश/भ्रमण/मिदिग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27/10/22 को पेश है।</p> <p>27/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची/अपीलाएट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैस्थो उपस्थित/पीठारीन अधिवक्ता महे. आज अवकाश/भ्रमण/मिदिग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 1/12/22 को पेश है।</p> <p>01/12/22 वजुलाय बायीं/प्रतिवादी उप./ के लिये मौका चाहते हैं। अतः अक्षर दिया जाकर पत्रावली दि 09/01/23 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p> <p>19/12/22 पत्रावली अधिवक्ता प्राचीगण मय प्राचीगण द्वारा प्रि.पत्र तालगी मय विद्वे का फेर कराने पर लल्ल की गई। तस्वीलपर मावली से रिपोर्ट गाल, गा. का. रहे। प्रकरण में प्राचीगण द्वारा उपस्थित होकर अक्षर इस पत्रावली में कीरे कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। प्राचीगण मय अधिवक्ता उप. प्राचीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। मय प्रकरण में प्राचीगण कीरे कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अक्षर मिथ्या ठाई जाती है। पत्रावली फैसल सुनार होकर निर्णय सुनाया गया।</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p> <p style="text-align: right;">रत्नलाल</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p>



रत्नलाल
 SDO मावली